

(C)

2024/221

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी

रुद्रप्रसाद
बडीसादडी

बनाम

उदप्रलाल सिंह शोभलाल
श्रीवा

किस्म मुकद्दमा पत्थरगढी 128 एल.आर.एक्ट

प्रकरण नं. 175/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-6-24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट का चारभुजाजी स्थान देह जरिये पुजारी देव स्थान ठिकाना बडीसादडी जरिये अध्यक्ष राजराणा घनश्याम सिंह झाला के द्वारा पेश किया गया चुकि इनके द्वारा पेश प्रा. पत्र में इनके नाम का कोई दस्तावेज पेश नही होने से न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) स्वमोटो के माफी, मंदिर, डोली, आदि की भूमियों का सरंक्षण तहसीलदार को होने से उक्त प्रार्थना पत्र जरिये भुमिधारी तहसीलदार बडीसादडी के मार्फत प्रार्थना पत्र पेश हुआ माना जाकर, जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।</p> <p>एक पक्षीय बहस सूनी गई। प्रकरणग्रस्त आराजी देव स्थान देह बडीसादडी के नाम पर होने से तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बडीसादडी की आराजी नम्बर 1973 रकबा 0.6900 हैक्टर भुमि की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नही की जावे।</p> <p>यह आदेश केवल पत्थरगढी के लिए है किसी भी प्रकार का कब्जा सुपूर्द नही किया जाए।</p> <p>पत्रावली में इसी आशय का हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम</p>	